फा.सं.एफ.1/56(19)/2024-भ.-III
संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-III अनुभाग

पुनः परीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीयन विवरण	
पद का नाम	डॉ बी.आर. अंबेडकर प्रोद्योगिकी संस्थान, पहाड़गांव, शिक्षा मंत्रालय (एमएचआरडी), पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान) के स्थायी पद की एक (01) रिक्ति (अ.पि.व.-01), सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह – क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।
विज्ञापन संख्या	08/2024
रिक्ति संख्या	24040810327

अनिवार्य योग्यताएं:	**शैक्षणिक:** **(क)** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिक विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों (या जहां कहीं ग्रेड सिस्टम प्रचलन में है वहां किसी पॉइंट पैमाने में समकक्ष ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) (भौतिक विज्ञान) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त एसएलईटी/एसईटी (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा) जैसा कोई समान परीक्षण पास किया हो अथवा उम्मीदवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार, एनईटी/एसएलईटी/एसईटी से छूट प्राप्त हो जैसा भी मामला हो, पीएच.डी. डिग्री (भौतिक विज्ञान में) प्रदान की गई हो: बशर्ते यह भी कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया था, वे डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के तत्कालीन अध्यादेशों/उप-नियमों/विनियमों के दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी संबंधी अपेक्षा में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन छूट दी जाएगी:- क) उम्मीदवार को पीएच.डी. डिग्री नियमित माध्यम में प्रदान की गई हो; ख) पीएच.डी. शोध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो; ग) उम्मीदवार की एक ओपन पीएच.डी. मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो; घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों, जिसमें से कम से कम एक किसी संदर्भित पत्रिका में हो; ड़) उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषित/समर्थित सम्मेलन/संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किए हों।

	उपर्युक्त (क) से (ड़) तक की शर्तों की परिपूर्णता, संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/डीन (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। या (ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था से भौतिकी विज्ञान में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त हो। **अनुभव** --शून्य—

अपनाए गए मानदंड	• संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में भरी गई जानकारी के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट और इसके साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। • आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। • संवीक्षा हेतु, ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किए गए दावों को ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में माना गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो उनकी अ.यो.-क और अ.यो.-ख के संबंध में उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं और ओआरए के संगत मॉड्यूल में उनका संदर्भ दिए बिना संलग्न किए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। • अनुभव प्रमाण पत्र, भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010-आर (सी एण्ड पी) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है, यदि उसमें अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो। • अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री को स्वीकार्य किया गया है। • भौतिक विज्ञान में एनईटी को संगत माना गया है। • मान्य अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक मजदूरी, विजिटर/अतिथि संकाय आदि के रूप में प्राप्त किए गए अनुभव की गणना नहीं की गई है। • 06 महीने या उससे अधिक के अध्यापन अनुभव को लागू किया गया है। • विजिटर/अतिथि संकाय, अंशकालिक के रूप में अध्यापन को संगत अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। • नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग-पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवारों द्वारा स्वयं साक्ष्यांकित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।

	• जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र, दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस समय-अवधि पर विचार किया गया है जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। • कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

संवीक्षा विवरण, अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों को दिनांक 03/08/2024 तक अपनी अस्वीकृति के विरुद्ध एक अवसर प्रदान करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 22/07/2024 को अपलोड किया गया था।

दिनांक 05/08/2024 तक 07 उम्मीदवारों से ई-मेल अभ्यावेदन प्राप्त हुए है और उनकी जांच की गई है। ई-मेल और अभ्यावेदन की जांच ऑन-लाइन आवेदन, इसमें दावा की गई शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव और ओआरए के साथ प्राप्त हुए समर्थित दस्तावेजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों एवं मापदंडों के आधार पर की गई है। तदनुसार, परिणामी टिप्पणियां निम्नानुसार है।

अनंतिमता के संबंध प्राप्त हुई में ई-मेल				
क्रम.सं.	अनुक्रमांक	ई-मेल की संख्या	टिप्पणियां	प्रस्ताव
1.	51,65,95	03	प्रस्तुत किए गए दस्तावेज क्रम में है।	**अनंतिमता समाप्त कर दी गई है।**
एलईक्यू क1 – अस्वीकृति के संबंध में मेल				
2.	74	01	ओआरए में मास्टर डिग्री के संबंध में कोई दावा नहीं है।	**अस्वीकृति बरकरार रखी जाती है।**
एलईसी-अस्वीकृति के संबंध में प्राप्त हुई मेल				
3.	77	01	चूंकि ओआरए में किया गया दावा संगत नहीं है।	**अस्वीकृति बरकरार रखी जाती है।**
विचारार्थ क्षेत्र में नहीं – अस्वीकृति के संबंध में मेल				
4.	43, 63	02	नए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए लेकिन उम्मीदवार 06 महीने या उससे अधिक का अध्यापन अनुभव का दावा नहीं करने के आधार पर विचारार्थ क्षेत्र में नहीं है।	**अस्वीकृति बरकरार रखी जाती है।**

अनंतिम रूप से लघसूचीबद्ध किया गया				
5.	87	01	मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए (नाम में भिन्नता के लिए शपथ-पत्र और 2009/2016 के विनियमों के अनुसार पीएच.डी.)	**अस्वीकृति बरकरार रखी जाती है।**
6.	39	01	अ.पि.व. प्रमाण-पत्र	**अनंतिमता समाप्त कर दी गई है।**

5. तदनुसार, संशोधित संवीक्षा निम्नानुसार है

01 अ.पि.व. रिक्ति

मानदंड: अ.यो.-क (i) + अ.यो.-क (ii/iii) + 06 महीने या उससे अधिक का अध्यापन अनुभव ।

साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए:
अनुक्रमांक:

04 32 39 41 51 65 93

95

(08 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलईक्यू-क1

अनुक्रमांक:

62 74

(02 उम्मीदवार)

एलईक्यू-क2

अनुक्रमांक:

75

(01 उम्मीदवार)

एलईसी

अनुक्रमांक:

03 08 09 12 14 17

23 25 26 30 37 58

77 78 80 82 84 85

88

(19 उम्मीदवार)

<u>अपूर्ण</u>

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	45
मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए	87
नियुक्ति/त्याग-पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेशों/वेतन प्रमाणपत्रों/उम्मीदवारों द्वारा स्वयं को स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में नहीं माना गया है।	

(02 उम्मीदवार)

शेष 65 आवेदनों को 06 महीने या उससे अधिक का अध्यापन अनुभव का दावा नहीं करने के आधार पर **एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी)** श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट पथ: मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड कर दी गई है।

<u>संकेतक:</u>

एलईक्यू-क(1)/क(2) – अनिवार्य योग्यता – क (1)/क(2) में कमी।

एलईसी – बढ़ाए गए मानदंड में कमी।

ईसी – अनुभव प्रमाण-पत्र।

परामर्शदाता/उप सचिव भ.-III